



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012021-224355
CG-DL-E-12012021-224355

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]
No. 17]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 12, 2021/पौष 22, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 2021/PAUSHA 22, 1942

संस्कृति मंत्रालय
(भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण)
अधिसूचना
नई दिल्ली 12 जनवरी, 2021

सा.का.नि.19(अ).—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1959 में आगे और संशोधन करने के लिए भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 130(अ) दिनांक 17 फरवरी 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड-3, उप खण्ड (i) दिनांक 19 फरवरी 2020 में प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कतिपय नियमों का प्रारूप उन सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया गया था जिनको इन नियमों से प्रभावित होने की संभावना है और यह नोटिस दिया गया था कि उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र की प्रतियां आम जनता को उपलब्ध होने के तीस दिनों की अवधि के अन्दर आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हो तो, प्रस्तुत कर सकते हैं।

और जबकि प्रारूप नियमों की प्रतियां इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लोगों को उपलब्ध कराई गयी थीं

और जबकि उक्त विनिर्दिष्ट अवधि में आम जनता से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः अब, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-** (1) इन नियमों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में नियम 1 के उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाता है, नामशः-

“(2) ये नियम पूरे भारत में प्रवृत्त होंगे।”

[फा. सं. T-19011/5/2020-M.]

वी. विद्यावती, महानिदेशक

फुट नोट: प्रधान नियम, दिनांक 15 अक्टूबर, 1959 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उप खंड (ii) में का. आ. 2036 पर प्रकाशित किये गए थे और तत्पश्चात निम्नानुसार संशोधन किये गए थे:

- (i) संख्या का. आ. 3520 दिनांक 20 नवम्बर, 1966
- (ii) संख्या सा.का.नि. 663 दिनांक 1 मई, 1967
- (iii) संख्या का. आ. 5002, दिनांक 13 दिसंबर, 1971,
- (iv) संख्या का. आ. 935 दिनांक 16 फरवरी, 1971,
- (v) संख्या सा.का.नि. 90 दिनांक 30 जनवरी, 1991,
- (vi) संख्या सा.का.नि. 306 दिनांक 10 जुलाई, 1996,
- (vii) संख्या सा.का.नि. 799(अ) दिनांक 17 अक्टूबर, 2000,
- (viii) संख्या सा.का.नि. 800(अ) दिनांक 17 अक्टूबर, 2000,
- (ix) संख्या सा.का.नि. 848(अ) दिनांक 3 नवम्बर, 2000,
- (x) संख्या का. आ. 10(अ) दिनांक 5 जनवरी, 2001,
- (xi) संख्या सा.का.नि. 372(अ) दिनांक 30 अप्रैल, 2003,
- (xii) संख्या सा.का.नि. 112(अ) दिनांक 27 फरवरी, 2008,
- (xiii) संख्या सा.का.नि. 164(अ) दिनांक 5 मार्च, 2008,
- (xiv) संख्या सा.का.नि. 436(अ) दिनांक 9 जून, 2008,
- (xv) संख्या सा.का.नि. 429(अ) दिनांक 20 मई, 2010,
- (xvi) संख्या सा.का.नि. 631 (अ) दिनांक 13 अगस्त, 2012,
- (xvii) संख्या सा.का.नि. 391 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2016,
- (xviii) संख्या सा.का.नि. 726(अ), दिनांक 30 जुलाई, 2018
- (xix) संख्या सा.का.नि. 1171 (अ), दिनांक 4 दिसंबर, 2018
- (xx) संख्या सा.का.नि. 276 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2019
- (xxi) संख्या सा.का.नि. 133 (अ), दिनांक 21 फरवरी, 2020

MINISTRY OF CULTURE
(Archaeological Survey of India)
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2021

G.S.R. 19(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959 were as required under sub-section (1) of section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), dated the 19th February, 2020 vide notification of the Government of India, in the Ministry of Culture, Archaeological Survey of India, number G.S.R. 130 (E), dated the 17th February, 2020 for the information of all persons likely to be affected thereby and notice was given that objections or suggestions, if any, are to be made within a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette of these draft rules are made available to the public;

And whereas, the copies of the draft rules were made available to the general public from the date of its publication in the Official Gazette;

And whereas no objection or suggestion has been received from the public within the said stipulated period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, namely:---

1. Short title and commencement: - (1). These rules may be called the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Rules, 2021.

(2). They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, for the sub-rule (2) of rule 1, the following rule shall be substituted, namely:-

“(2) They extend to the whole of India.”

[F.No. T-19011/5/2020-M]

V. VIDYAVATHI, Director General

Foot Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section(ii) vide S.O. 2036, dated the 15th October, 1959 and subsequently amended vide notification :-

- (i) No. S.O. 3520 dated the 20th November, 1966
- (ii) No. GSR 663 dated the 1st May, 1967
- (iii) No. S.O. 5002, dated 13th December, 1971,
- (iv) No. S.O. 935 dated the 16th February, 1971,
- (v) No. GSR 90 dated the 30th January, 1991,
- (vi) No. GSR 306 dated the 10th July, 1996,
- (vii) No. GSR 799(E) dated the 17th October, 2000,
- (viii) No. GSR 800(E) dated the 17th October, 2000,
- (ix) No. GSR 848(E) dated the 3rd November, 2000,
- (x) No. S.O. 10(E) dated the 5th January, 2001,
- (xi) No. GSR 372(E) dated the 30th April, 2003,
- (xii) No. GSR 112(E) dated the 27th February, 2008,
- (xiii) No. GSR 164(E) dated the 5th March, 2008,
- (xiv) No. GSR 436(E) dated the 9th June, 2008,
- (xv) No. GSR 429 (E) dated the 20th May, 2010,
- (xvi) No. GSR 631 (E) dated the 13th August, 2012,
- (xvii) No. G.S.R. 391 (E), dated the 31st March, 2016,
- (xviii) No. G.S.R. 726(E), dated the 30th July, 2018
- (xix) No. G.S.R. 1171 (E), dated 4th December, 2018
- (xx) No. G.S.R. 276 (E), dated 1st April, 2019
- (xxi) No. G.S.R. 133 (E) 21st February, 2020